



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-25032022-234467
CG-GJ-E-25032022-234467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/ चैत्र 4, 1944

No. 154]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/ CHAITRA 4, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 23 मार्च, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति) विनियम, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रिग्यु022—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 17 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति का गठन करने, प्रदान की जाने वाली जानकारी को शासित करने, पर्याप्त संसाधनों का उपबंध करने और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, 2019(2019 का 50) अभिप्रेत है;

- (ख) "प्राधिकरण" से, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सदस्यों का सामूहिक निकाय अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "समिति" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति अभिप्रेत है;
- (च) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" या "आई.एफ.एस.सी." का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या यथास्थिति, उनके किसी कानूनी उपांतरण या पुनर्अधिनियमिति में उनके हैं।

अध्याय II

कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति का प्रचालन और उसके कृत्य

3. समिति का गठन और संरचना

(1) प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अनुसार एक कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:

- (i) बोर्ड द्वारा यथा-नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के दो सदस्य; और
- (ii) बोर्ड द्वारा, प्रत्येक पुनर्विलोकन कृत्य के लिए अधिकतम दो स्वतंत्र विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (2) बोर्ड, निम्नलिखित आधार पर स्वतंत्र विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा:
- (i) पुनर्विलोकन के विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में सुसंगत अनुभव और कौशल; और
- (ii) किसी ऐसे प्रत्यक्ष या सारवान् हित-संघर्ष का न होना, जिससे उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन प्रभावित हो सकेगा।

(3) समिति के सदस्य, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र विशेषज्ञ भी हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे दो वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि समिति में कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो बोर्ड, यथास्थिति, एक अन्य सदस्य या विशेषज्ञ को, शेष बची अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा।

4. समिति द्वारा पुनर्विलोकन किए जाने की परिधि

समिति, प्राधिकरण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, निम्नलिखित क्षेत्रों में करेगी:-

- (i) प्राधिकरण द्वारा, अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय या कृत्यों का निर्वहन करते समय, लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन;
- (ii) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम पद्धतियों का संवर्धन;
- (iii) प्राधिकरण द्वारा, उसके कृत्यों के संबंध में जोखिम प्रबंधन।

5. अनुपालन और शासन

(1) समिति, इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या प्राधिकरण ने अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय या अपने कृत्यों का पालन करते समय, लागू विधियों के उपबंधों का पालन किया है और उसने शासन की पारदर्शिता और सर्वोत्तम पद्धतियों का संवर्धन किया है, प्राधिकरण के अनुपालन और शासन संबंधी कृत्यों का पुनर्विलोकन करेगा।

(2) अनुपालन और शासन संबंधी कृत्यों का पुनर्विलोकन इस बात की परीक्षा करके किया जाएगा कि क्या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम –

- (i) लागू विधियों का अनुपालन करते हैं;
- (ii) हितधारकों के अनुपालन भार को कम करते हैं और शासन की पारदर्शिता और सर्वोत्तम पद्धतियों का संवर्धन करते हैं;
- (iii) हितधारकों के लिए ऋजु और अविभेदकारी हैं तथा आसानी से सुलभ हैं;
- (iv) स्पष्ट, बोधगम्य हैं और विनियमित इकाइयों को विनियमों का अनुपालन करने के लिए पूर्वानुमेयता और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

6. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन का पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्राधिकरण अपने कार्यकरण के जोखिम का प्रबंधन युक्तियुक्त रीति में कर रहा है और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:

- (i) उसके क्रियाकलापों के लिए जोखिम मानिट्रिंग अध्युपायों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का पुनर्विलोकन करके;
- (ii) इस बात का पुनर्विलोकन करके कि क्या जोखिम पहचान संबंधी अध्युपाय समुचित हैं और वे यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी संभावित नुकसान को कम किया जाए और जोखिमों को वर्गीकृत किया जाए प्राधिकरण के प्रचालनों की सुरक्षा और दृढ़ता सुनिश्चित करते हैं; और
- (iii) मानिट्रिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया का पुनर्विलोकन और किसी भंग के अभिलेख का अनुरक्षण करके।

अध्याय III

जानकारी और बैठकों तक पहुंच

7. जानकारी

- (1) समिति को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए समस्त सुसंगत अभिलेखों सुलभ होंगे;
- (2) समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगी; और
- (3) अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्श और विनिश्चयों के बारे में किसी व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत मीडिया भी है, बातचीत नहीं करेगा या उसे जानकारी साझा नहीं करेगा।

8. बैठकें और समन्वय

- (1) समिति किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी;
- (2) कार्य संचालन के लिए आवश्यक कोरम, समिति की कुल संख्या का आधा होगा जिसमें कम से कम एक सदस्य और प्रत्येक पुनर्विलोकन से संबंधित एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी;
- (3) बैठकों के लिए नोटिस, स्थान और कार्यसूची, समिति के सचिव द्वारा कम से कम सात कार्य दिवस अग्रिम में परिचालित की जाएगी;

- (4) बैठक के कार्यवृत्त ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो समिति के अध्यक्ष द्वारा उचित समझी जाएं, अभिलिखित किए जाएंगे;
- (5) प्राधिकरण का सचिव, समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा;
- (6) समिति को अपने कृत्यों का प्रभावशाली रूप से निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. शिकायत निवारण प्रणाली

(क) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (घ) तक में उल्लिखित कोई घटना किसी व्यक्ति द्वारा समिति को लिखित में ऐसे प्ररूप में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत की जा सकेगी;

(ख) समिति द्वारा प्राप्त की गई सभी शिकायतों को समिति द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उन्हें एक संख्यांक समनुदेशित किया जाएगा;

(ग) समिति, शिकायत की परीक्षा करने के लिए शिकायतकर्ता से ऐसी अपेक्षित जानकारी या पुष्टि की, जो आवश्यक समझी जाए, ईप्सा कर सकेगी और अपने निष्कर्षों सहित रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी;

(घ) प्राधिकरण, यदि शिकायत और रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, शिकायतकर्ता और समिति को सूचित करते हुए, शिकायत को खारिज कर सकेगा;

(ङ) यदि प्राधिकरण का यह मत है कि शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई गुणगुण है तो वह उसे संबंधित प्राधिकारी को, लागू विधियों के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित कर सकेगा।

10. रिपोर्ट संबंधी अपेक्षाएं

(1) समिति, प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष के नियत मास में, एक ऐसी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रत्येक पुनर्विलोकन क्षेत्र के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हों।

(2) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के अधीन दी गई रिपोर्ट के आधार पर, अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार कार्रवाई करेगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./709/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 23rd March, 2022

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (PERFORMANCE REVIEW COMMITTEE) REGULATIONS, 2022

IFSCA/2021-22/GN/REG022 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (4) of Section 17 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations for constitution, governing the information to be provided, provision of adequate resources and discharge of functions by the Performance Review Committee, namely:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- (1) These regulations may be called International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) Regulations, 2022.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. DEFINITIONS

- (1) In these regulations unless the context otherwise requires:
- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (c) “Board” means the collective body of the members appointed under sub-section (1) of section 5 of the Act;
 - (d) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;
 - (e) “Committee” means the Performance Review Committee constituted under sub section (1) of section 17 of the Act;
 - (f) “International Financial Services Centre” or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

OPERATION AND FUNCTIONS OF THE PERFORMANCE REVIEW COMMITTEE

3. CONSTITUTION AND COMPOSITION OF THE COMMITTEE

- (1) The Authority shall constitute a Performance Review Committee in accordance with sub section (1) of section 17 of the Act, which shall comprise of the following:
- (i) Two members of the Authority as nominated by the Board; and
 - (ii) Upto two independent experts for each review function shall be nominated by the Board, from the panel of names approved by the Chairperson.
- (2) The Board shall nominate the independent experts on the basis of the following:
- (i) Relevant experience and skills in relation to the specific area of review; and
 - (ii) Absence of any direct and substantial conflict of interest, which could influence performance of their duties and responsibilities.
- (3) The members, including the independent experts, of the Committee shall be nominated for a period of three years and shall not be eligible for re-nomination before expiry of a period of two years. If a vacancy arises in the Committee, the Board shall nominate another member or expert, as the case may be, for the residual period.

4. SCOPE OF REVIEW BY THE COMMITTEE

The Committee shall review the functioning of the Authority at least once in every financial year in following areas:-

- (i) Compliance with the provisions of the applicable laws while exercising powers or performing functions under the Act by the Authority;
- (ii) Promotion of transparency and best practices of governance through the regulations made by the Authority;
- (iii) Risk management by the Authority in relation to its functions.

5. COMPLIANCE AND GOVERNANCE

- (1) The Committee shall review the compliance and governance functions of the Authority to assess as to whether the Authority has adhered to the provisions of the applicable laws and has promoted transparency and best practices of governance while exercising powers or performing its functions under the Act.

- (2) The review of compliance and governance functions shall be conducted by examining as to whether the regulations made by the Authority-
- (i) comply with the applicable laws;
 - (ii) reduces compliance burden of stakeholders and promote transparency and best practices of governance;
 - (iii) are fair and non-discriminatory to the stakeholders and easily accessible;
 - (iv) are clear, understandable and provide regulated entities with the predictability and necessary guidance to comply with regulations.

6. RISK MANAGEMENT

The review of risk management shall be conducted to ensure that the Authority is managing risk to its functioning in a reasonable manner, and it shall be performed by:

- (i) reviewing the adequacy and effectiveness of the risk monitoring measures for its activities;
- (ii) reviewing whether the risk identification measures are appropriate and assure the safety and soundness of the operations of the Authority while ensuring that any possible harm is mitigated and risks are categorised; and
- (iii) reviewing the monitoring and evaluation process and maintenance of record of any breach.

CHAPTER III

ACCESS TO INFORMATION AND MEETINGS

7. INFORMATION

- (1) The Committee shall have access to all the relevant records for the purposes of performing its functions;
- (2) The Committee may require attendance of any employee of the Authority to perform its functions; and
- (3) No person other than the Chairperson or a person authorized by him shall interact or share information with any person including media about the deliberations and decisions taken by the Committee.

8. MEETINGS AND COORDINATION

- (1) The Committee shall meet at least twice in a financial year;
- (2) The quorum necessary for the transaction of business shall be half of the total strength of the Committee, wherein presence of at least one member and one independent expert dealing with each review function shall be mandatory;
- (3) The notice, place and agenda for the meetings shall be circulated at least seven working days in advance by the Secretary to the Committee;
- (4) The minutes of the meeting shall be recorded in such form and manner as may be considered appropriate by the chair of the Committee;
- (5) The Secretary of the Authority shall also act as Secretary to the Committee;
- (6) The Committee shall be provided with the adequate resources for carrying out its functions effectively.

9. COMPLAINT HANDLING SYSTEM

- (a) Any incidence mentioned in clause (a) to (d) of sub-section (3) of Section 17 of the Act, may be submitted to the Committee in writing by any person in such form as may be specified by the Authority;
- (b) All complaints received by the Committee shall be registered and assigned a number, as per the procedure determined by the Committee;

- (c) The Committee may seek requisite information or confirmation, as may be considered necessary, from the complainant for examining the complaint and shall submit report with its findings to the Authority;
- (d) The Authority after examining the complaint and the report, if satisfied that no *prima-facie* case is made out, may dismiss the complaint under intimation to the complainant and the Committee;
- (e) In case the Authority is of the view that *prima-facie* the complaint has some merit, it may forward the same to the authority concerned, for appropriate action in accordance with the applicable laws.

10. REPORTING REQUIREMENTS

- (1) The Committee shall submit a consolidated report to the Authority, containing the findings of each review area, in the fixed month of every year.
- (2) The Authority shall take action on the report under sub-regulation (1) in accordance with section 17(2) of the Act.

INJETI SRINIVAS, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./709/2021-22]